रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244639
CG-DL-E-24032023-244639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
No. 179] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

सं. जीए-18012/2/2022-जीआर.एडमिन-एफएसएसएआई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. जीए-18012/2/2022-जीआर.एडमिन-एफएसएसएआई तारीख 13 सितंबर, 2022, में प्रकाशित किया गया था, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करनेवाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 सितंबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 के, विनियम 16 में, "चार हज़ार रुपए की बैठक फीस" शब्दों के स्थान पर "सात हज़ार पाँच सौ रुपए की बैठक फीस" शब्द रखे जाएंगे।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./705/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 04 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक फा. सं. एफ1-61/एफएसएसएआई/टीआर.बिजनेस/आरईजी/2015, तारीख 16 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2023

No. GA-18012/2/2022-Gr.Admin-FSSAI.—Whereas the draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. GA-18012/2/2022-Gr.Admin-FSSAI, dated the 13th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 20th September, 2022;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (1) of Section 17 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Amendment Regulations, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, in regulation 16, for the words "sitting fee of rupees four thousand", the words "sitting fee of seven thousand and five hundred rupees" shall be substituted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./705/2022-23]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated 4th March, 2011 and subsequently amended vide notification number F.No. F1-61/FSSAI/Tr. Business/Reg/2015, dated the 16th August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.24 09:45:17 +05'30'